International Journal of Applied and Universal Research E-ISSN No: 2395-0269
Volume III, Issue III, May-Jun. 2016 Available online at: www.ijaur.com

संविधान में आरक्षण प्राप्त आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संतोष कुमार मिश्र,
शोधार्थी (विधि), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
अतिथि विद्वान विधि, शासकीय महाविद्यालय मऊगंज, रीवा (म.प्र.)

***ABSTRACT**: -*

AIMS :- इस शीर्षक अंतर्गत यह अध्ययन किया गया है कि आरक्षित वर्ग जिन्हे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग कहा जाता है, का वर्गीकरण क्या उक्तियुक्त वर्गीकरण है। संविधान में आरक्षण प्रदाय का उद्येश्य के पूर्ति इस वर्गीकरण के माध्यम से उचित रूप से हो रहा है।

METHODS :- इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में द्वितीयक श्रोत से साहित्यों का संकलन द्वारा संबंधित विषय पर डाटा एकत्र कर विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के रूप में प्रबुद्ध वर्ग व्यक्तियों के साक्षात्कार को निहित प्रश्नावली के माध्यम से डाटा का संकलन किया गया तथा उन व्यक्तियों के मुख्य विचारों का विश्लेषण कर उल्लेखित किया गया।

RESULTS :- डाटा संकलन एवं उसके विश्लेषण से यह निष्कर्ष सामने आया कि जिस आधारों पर वर्गीकरण किया गया है वे आधार युक्ति संगत वर्गीकरण के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। प्रशासन तंत्र में ऐसे वर्गीकरण अनुवांशिक रूप धारण करते है।

CONCLUSIONS :- अध्ययन से ज्ञात हुआ कि केवल जाति आधारित वर्गीकरण युक्तियुक्त वर्गीकरण नहीं है इसमे पेशा, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि आधारों को शामिल करके आरक्षित वर्गों का निर्धारण होना चाहिए, अन्यथा इसका लाभ निर्धनों को न मिलकर उन्नत वर्गों को मिलता रहेगा। पदोन्नति में आरक्षण देकर आनारक्षित वर्ग के जीवनस्तर को गिराया न जाए। आरक्षण के बजाय सकारात्मक कार्यवाही (Affermative Action) से लाभ पहुंचाया जाना चाहिए।

KEYWORDS: संविधान, आरक्षण, आरक्षित वर्ग, वर्गीकरण।

INTRODUCTION

भारत का संविधान की उद्येश्यिका में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह समानता एवं सामाजिक न्याय के आदर्श पर प्रतिष्ठित है। इसी को दृष्टिगत रखकर समाज के निर्धन, असहाय और समाज से अलग–थलग पड़े वर्गों के व्यक्तित्व को विकसित करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण नीति लायी गयी। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता जैसी समता मूलक न्याय की कल्पना करता है। समता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के बीच, समुदाय का समुदायों के बीच विभेद को मिटाता है। विधि के समक्ष समता केवल एक सकारात्मक संकल्पना है जो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिये राज्य को कुछ सकारात्मक कार्य करने, योजनाएं, सुविधाएं उन वर्गों, समुदायों एवं व्यक्तियों के पक्ष में पूर्ति करने का दायित्व उत्पन्न करता है जो निम्न स्थितियों में है और अन्य वर्गों से असमान है। विभिन्न वर्गों के लोगो के मध्य मनुष्य व मनुष्य एवं वर्ग व वर्ग में वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है जिससे उन लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके। वर्गीकरण करने में राज्य का कार्य बहुत वृहद हो जाता है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ धर्म, मूलवंश, धन, सामाजिक प्रतिष्ठा अथवा राजनीतिक प्रभाव आदि आधार पर भेदभाव न हो और असमान परिस्थितियों वालों के साथ न्याय हो सके, तत्संबंध में अलग विधियां निर्मित की जाएं, यही वर्गीकरण युक्तियुक्त वर्गीकरण होता है तथा आरक्षण का द्योतक है। आरक्षित वर्गों की समस्याएं अनिवार्य रूप से समुदाय की उन कमजोर वर्गों की आर्थिक समस्याएं है जो कम या अधिक मात्रा में सामाजिक अयोग्यताओं के कारण से कष्ट उठा रहे है। पिछड़ेपन का वर्गीकरण जाति आधारित रखना, अयुक्तियुक्त एवं मनमाना कहा जा सकता है क्योंकि आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक स्तर, मनुष्य की प्रकृति में अंतर, मनुष्य के पेशा–कार्य आदि आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है।

युक्तियुक्त से आशय उन बातों से लिया जाता है जो तर्कसंगत (Logicl), न्यायसंगत (Just) एवं उचित (Fair) हो। रामकृष्ण डालमिया के मामले के अनुसार युक्तियुक्त वर्गीकरण होने के लिये दो शर्तें अनिवार्य है :–

(1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक (Intelligible Differentia) पर आधारित होना चाहिए, जो एक वर्ग में शामिल किये गये व्यक्तियों तथा वस्तुओं और उसके बाहर रहने वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता है।

(2) अंतरक (Differentia) और उस उद्येश्य में तर्कसंगत सम्बंध हो जिसे प्रश्नगत अधिनियम बनाकर मंत्रिमण्डल प्राप्त करना चाहता है।

भारत में आरक्षण वस्तुतः जाति आधारित रखा गया है। एक जाति के लोगों के अंतर्गत धनी, सामाजिक प्रतिष्ठावान, उच्च स्किल एवं निर्धन लोग हो सकते है परन्तु राज्य द्वारा जाति आधारित आरक्षण युक्तियुक्त वर्गीकरण से परे है क्योंकि आरक्षण का लाभ सभी को मिल रहा है

आरक्षण की अवधारणा हिन्दू समाज के कुछ वर्गों, जातियों और गैर–हिन्दूओं के बीच भी कुछ वर्गों द्वारा सहे गये विभेद से उत्पन्न हुआ है। समाज के अन्दर पनपे भेदभाव (विभेद), असुरक्षा और निम्न स्तर के जीवन से छुटकारा पाने की दृष्टि से आरक्षण का जन्म हुआ।

समाज व्यवस्था में जातियों को वर्गीकृत करके निम्न जातियों के पास बढ़ने की क्षमता होते हुए भी शोषण होता था तथा बढ़ने के अवसर से वंचित रखा गया था। वर्तमान में जब आरक्षण दिया गया है फिर भी जाति आधारित होने से एवं सुव्यवस्थित वर्गीकरण के अभाव में निर्धनों के हालात बदतर है और धनाढ्य ही आरक्षण का लाभ प्राप्त करते जा रहे है।
आरक्षण प्राप्त आरक्षित वर्गों की तीन श्रेणियां रखी गयी है – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग।
भारत का संविधान के अनुच्छेद 366 (24) के अनुसार ऐसी जातियां, मूलवंश या जन जातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जन जातियों के भाग या उनमें से यूथ (Groups) अभिप्रेत है, जिन्हे इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है।
अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना में सूचीबद्ध की गयी जातियां ही अनुसूचित जातियां कहलाती है। अनुसूचित जाति अध्यादेश, 1950 में अनुसूचित जातियों की सूची में 47 जाति समूहों को शामिल किया गया था।
अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें से यूथ (Groups) अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ऐसी जातियों को अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करता है, अधिसूचना में सूचीबद्ध जातियां ही अनुसूचित जनजातियां मानी जाती है। अनुसूचित जनजाति अध्यादेश, 1950 एवं जनगणना 2011 के आधार पर 550 प्रकार की जनजातियां दर्शायी गयी है।
अन्य पिछड़ा वर्ग :– राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अन्य पिछड़े वर्ग जातियों के लोगों में उन अग्रलिखित लोगों को सम्मिलित किया है, जिनके लिये संसद और राज्यों के विधान मण्डलों में आरक्षण के लाभ के प्रावधान किये जाए ताकि इन वर्गों का विभिन्न सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व हो सके –

1. ऐसे अस्थिर वासस्थान वाले घुमन्तु (Nomad) जो किसी प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रखते, स्वांग (Mircy), भिक्षावृत्ति, जादूगरी, नृत्यकला आदि को अपना व्यवसाय मानते हैं।
2. ऐसे व्यक्ति जो अधिकतर भूमिहीन या खेतिहर मजदूर होते हैं।
3. ऐसे कास्तकार व खेतिहर मजदूर जो बिना मौख्सी अधिकार के हैं।
4. ऐसे व्यक्ति जो छोटे कास्तकार है या कम लाभ वाली कास्त करते हैं।
5. ऐसे व्यक्ति जो छोटे स्तर पर पशुपालन, भेड़पालन, मछली मारने के पेशे में लगे हैं।
6. आर्थिक दृष्टि से बेकार हो चुके कर्मकार जिनके रोजगार की सुरक्षा नहीं हैं।
7. ऐसे व्यक्ति जिनकी पर्याप्त शिक्षा एवं नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हैं।
8. समाजिक व्यवस्था से अधिक नीचे वाले व्यक्ति।
9. मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों के ऐसे समूह जो अभी भी सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 2 (क) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से भिन्न ऐसे पिछड़े नागरिकों के वर्ग अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचियों में विनिर्दिष्ट किये जाये।
आयोग ने पिछड़े वर्ग की परिभाषा देने का कठिन प्रयास किया है फिर भी कोई एक परिभाषा देने में सफल नहीं हो सका। ऐसा शायद इसलिए कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य/प्रदेश को अधिकार दिया गया कि अपने साधनों और आवश्यकता के अनुसार जिन्हें उचित समझते हैं पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करें। संसद ने पिछड़ा वर्ग शब्द देकर सूची निर्माण हेतु राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था, तत्पश्चात् मण्डल आयोग ने कुल 3742 पिछड़ी जातियों को वर्गीकृत किया और 27% आरक्षण की सिफारिश किया। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग की कसौटी के आधार रूप से निम्न प्रमाणों को अपनाने का सुझाव दिया – हिन्दू समाज की पारम्परिक जाति व्यवस्था में निम्न सामाजिक स्तर, जाति या समुदाय में साधारण शैक्षिक उन्नति की कमी, नौकरियों में अपर्याप्त या कोई प्रतिनिधित्व नहीं और वाणिज्य, व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।
परन्तु आयोग इन वर्गों के वर्गीकरण के कोई सुनिश्चित आधार ढूंढ़ने में सफल नहीं रहा और पिछड़े वर्गों की कोटि में कौन सी जातियां, समुदाय या वर्ग शामिल है, इस पर मतभेद बना रहा। मण्डल आयोग के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार कर सर्वमान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, पिछड़े वर्गों में उन्नत वर्गों (Creamy Layer) को निकालने के बाद आरक्षण दिया जायेगा तथा प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। परन्तु राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्येश्य की पूर्ति के लिये पिछड़े वर्गों की आरक्षण सीमा 50% से अधिक बढ़ा दिया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में भी संविधान में संशोधन कर अनुच्छेद 16 (4)(A) अंतःस्थापित करके आरक्षण लागू कर दिया।
केरल जैसे राज्यों ने पिछड़े वर्गों में उन्नत वर्गों को निकाले बिना ही और आयोग का गठन किये बिना ही आरक्षण लागू कर घोषित कर दिया कि पिछड़े वर्ग में कोई उन्नत वर्ग नहीं है। इतना ही नहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आदि राज्यों ने मनमाने ढंग से उन्नत वर्गों का निर्धारण किया। भारत में आरक्षण को आरक्षित वर्गों की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट 2012 में आय सीमा शहरी क्षेत्र में 12 लाख एवं

ग्रामीण क्षेत्र में 9 लाख वार्षिक आय वालों को आरक्षित वर्ग मानने की राय देने का तर्कसंगत अर्थ यही होता है, जब तक आरक्षित वर्गों का गरीबी उन्मूलन नहीं हो जाता तब तक आरक्षण चलता रहे। ऐसे समुदाय जो अनारक्षित वर्ग से है और उन लोगों की मासिक आय रू. 1000 से भी कम है, गरीबी का जीवन जी रहें है एवं सरकार द्वारा उनके लिये बिना कुछ किये विकास सम्भव नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को क्या आरक्षण प्राप्ति का हक नहीं है। राजनेताओं, सम्पन्न व्यक्तियों और आरक्षण प्राप्त व्यक्तियों के परिवारों को जाति आधार पर बार–बार आरक्षण का लाभ मिलना और ऐसे कृत्य से आरक्षण के वास्तविक हकदारों को आरक्षण लाभ से वंचित होना पड़ रहा है तो ऐसा वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति 1993 में गठित कर पिछड़े वर्गों में उन्नत वर्गों का पता लगाने के लिये और उन्नत वर्गों को सूची से हटाने के लिये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। समिति ने प्रतिवेदन दिया कि 03 वर्ष तक एक लाख रूपये वार्षिक आय से अधिक आय वालों को, सरकारी सेवा में पति–पत्नी में से कोई प्रथम श्रेणी के अधिकारी हों, अर्द्धसैनिक बलों और सशस्त्र सेवाओं में कर्नल और उसके ऊपर के स्तर पर तथा नौसेना, वायुसेना के समान पदों पर उन्नत वर्ग लागू होगा। व्यापार और उद्योग व पेशेवर श्रेणी के पदो के मामलों में आय और सम्पत्ति को आधार माना जाएगा और यदि वैध सीलिंग की 65% अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, शेष पदो के मामलों में वार्षिक एक लाख रूपये या उससे अधिक की आय अथवा धनकर विधि की सीमा से अधिक धन रखने वाले व्यक्ति, सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग (व्यक्ति) की पहचान के लिये लगातार 03 वर्ष तक उपर्युक्त स्तर की आय अथवा सम्पदा होने पर और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा ऐसे ही अन्य संवैधानिक पदो के मामलों में, पति–पत्नी में किसी ने 05 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में नौकरी की है उनकी सन्तानों को आरक्षण के लाभ से अलग रखा जाए।

परन्तु पति–पत्नी दोनो प्रथम श्रेणी अधिकारी थे, दोनों की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में संतानों को, प्रथम श्रेणी अधिकारी से कोई पिछड़े वर्ग की महिला विवाह करती है तो नौकरी के लिये आवेदन करने पर, यदि पति–पत्नी में कोई एक द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है या दोनों द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे किसी एक की मृत्यु हो जाए, किसी सैनिक अधिकारी की पत्नी असैनिक नौकरी में है, ग्रामीण कामगारों या कुम्हार या धोबी या नाई जैसे पुस्तैनी काम में लगे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाये।

उपरोक्त समिति की रिपोर्ट जो आरक्षित वर्गों का वर्गीकरण करती है, निःसंदेह आरक्षित वर्ग को उस स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करती है। जिस सामाजिक स्तर पर समाज के अन्य अनारक्षित वर्ग भी अधिकतर अपनी पहुंच बनाने में असमर्थ है। संविधान वर्ग विधान बनाने को निषिद्ध करता है परन्तु वर्गीकरण की अनुमति देता है। जिसका आशय कतई यह नहीं है कि वर्गीकरण के नाम पर वर्ग निर्धारित करके विधि निर्मित की जाए।

आरक्षित वर्गों के अधिकार की संवैधानिक वैधता :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किये गये हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए हों।

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16(4) अंतर्गत प्राप्त है, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में आरक्षण करेगा जो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है और राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

बालाजी के मामले में निर्णय दिया गया था कि केवल जाति को पिछड़ा होने के निर्धारण की कसौटी नहीं माना जा सकता है, गरीबी, पेशा, जन्मस्थान, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक उन्नति के साधन, शिक्षा प्रगति आदि सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए।

77वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 (4)(ए) जोड़ा गया और अनुसचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को प्रोन्नति में आरक्षण अधिकार प्रदान किया गया। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा अनुच्छेद 16 (4)(ए) में किसी वर्ग के लिए प्रोन्नति के मामले में पारिणामिक (consequential) ज्येष्ठता के साथ " शब्दावली जोड़कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की ज्येष्ठता 1995 से मानी जायेगी। लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में दर्शाया गया है कि स्थानों का आरक्षण उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा। राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है कि उस राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में होगा।

सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों के लिए उनके पक्ष में किसी परीक्षा में अर्हता अंकों में शिथिलीकरण या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए मूल्यांकन के स्तर को कम करने वाले प्रावधान करने की छूट दी गयी है।

अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के प्रावधान है जो अनुसूचित जाति के लिए विकास एवं रक्षा में कार्य करेगा।

अनुच्छेद 338(ए) में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास एवं सुरक्षा में कार्य करेगा।

अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया हैं।

भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में आरक्षण की जाति आधार पर वर्गीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य देशों में आरक्षण के स्वरूप की सकारात्मक कार्यवाही का प्रचलन है।

सकारात्मक कार्यवाही (Afirmative Action) द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद, आस्ट्रेलिया में मूल देशज लोगों के लिये क्षेत्रों को आरक्षित करके, अमेरिका में दासता से जूझ रहे लोगों के उन्नति एवं विकास के लिए विशेष कार्यवाहियां की गयी है और दासता का समापन किया गया है। मलेशिया, ब्राजील, चीन आदि देशों में सकारात्मक कार्यवाही योजनाएं काम कर रही है।

AIMS AND OBJECTIVES

(1) आरक्षित वर्गों के वर्गीकरण का अध्ययन
(2) वर्तमान वर्गीकरण लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है का अध्ययन
(3) प्रमोशन में आरक्षण देने वाला वर्गीकरण का अध्ययन
(4) आरक्षण के अतिरिक्त अन्य विकल्प का अध्ययन
(5) निष्कर्ष निकालना और सुझाव प्रस्तुत करना।

RESEARCH METHODOLOGY

द्वितीयक डाटा का अध्ययन कर जो विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, नियमावालियों, आयोगों की रिपोर्टों, उच्चतम न्यायालय के मामलों, समाचार पत्रों, अनेक बेवसाइटों से संकलन पर केन्द्रित है। साहित्यों का संकलन एवं विधान मण्डलों द्वारा पारित विधियों के विश्लेषण आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है।

प्राथमिक डाटा का संकलन Random Sampling विधि से वस्तुस्थिति का उचित विचार जानने के लिए निहित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। इसमें 500 प्रबुद्व वर्गों के विचारों को शामिल किया गया है जिसमें साक्षात्कार द्वारा डाटा संग्रह किया गया है। प्रश्नावली के मुख्य दो प्रश्न थे –

(1) आरक्षण का क्या जाति आधारित वर्गीकरण युक्तियुक्त वर्गीकरण है?
(2) क्या आरक्षण का लाभ प्रमोशन में दिया जाना उचित है?

RESULT & FINDINGS

सरिणी क्रमांक 01
प्रश्न क्रमांक 01

व्यक्तियों की संख्या	हां	नहीं	कोई नहीं
500	15%	80%	5%

Views fig. 1

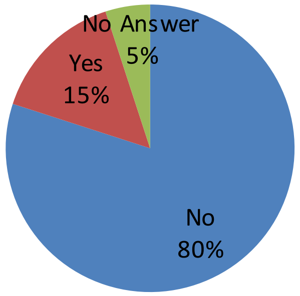

डाटा का विश्लेषण

सर्वेक्षण में 500 प्रबुद्व वर्गों में से 80% व्यक्तियों ने नहीं में तथा 15% व्यक्तियों ने हां में और 05% व्यक्तियों ने कुछ नहीं में उत्तर दिया। अधिकांश व्यक्तियों का विचार था कि जाति आधार पर आरक्षण उचित नहीं है। इस तरह के आरक्षण से जातिवादी भावना पैदा करके राजनीतिज्ञ वोट बैंक की भांति इन वर्गों का प्रयोग करते हैं।

- जाति आधार पर आरक्षित जातियों के धनी, उच्च प्रतिष्ठावान, राजनेता, नौकरी करने वालों के पुत्र, उन्नत वर्ग आदि सरकारी नौकरी पर कब्जा करते जा रहे है। निर्धन वर्ग को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- जाति आरक्षण आनुवांशिक रूप से सरकारी पदों को आरक्षित कर देता है।
- प्रशासन में जातियों का बोल–बाला बढ़ा है तथा प्रशासन में अनावश्यक दबाव बनाया जाता है।
- आरक्षित वर्ग इसे बैसाखी समझते है।
- आरक्षण से नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों में शिक्षा प्रदाय की बौद्धिक (Skill) क्षमता की कमी से 50% बच्चों की भावी पीढ़ी अयोग्यता की ओर अग्रसर है।
- भारत में भी सकारात्मक कार्यवाही को अपनाया जाए।

सारिणी क्रमांक 02
प्रश्न क्रमांक 02

व्यक्तियों की संख्या	ळां	नहीं	कोई नहीं
500	20%	70%	10%

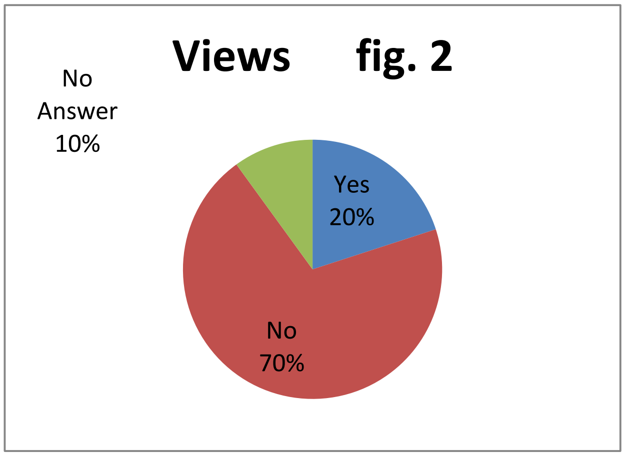

डाटा का विश्लेषण

सर्वेक्षण में 500 प्रबुद्ध वर्गों में से 70% व्यक्तियों ने प्रश्न क्रमांक 02 का उत्तर नहीं में 20% व्यक्तियों ने हां में तथा 10% व्यक्तियों ने कुछ नहीं में उत्तर दिया था। अधिकांश व्यक्तियों का विचार था कि पदोन्नति में आरक्षण देना उचित नहीं है इससे –

- कर्मचारियों के बीच ईर्ष्या भावना उत्पन्न होती है।
- सरकारी काम–काज में बाधा उत्पन्न होती है।
- अनारक्षित वर्ग हीन भावना महसूस करता है।
- अनुशासन के विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- सरकारी तंत्र का कार्य धीमा हुआ है।

CONCLUSIONS:-

आंकड़ों एवं डाटा से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि जाति आधार पर वर्गीकरण करना उक्ति संगत वर्गीकरण नहीं है। अन्य आधार पेशा, आय, प्रतिष्ठा, शिक्षा आदि आधार लेकर आरक्षित वर्गों का वर्गीकरण करके आरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकारी तंत्र में पदों की संख्या बहुत कम एवं सीमित है, जबकि जाति आधार पर आरक्षित वर्गों की संख्या बहुत अधिक है। आरक्षण हेतु उपयुक्त वर्गीकरण नहीं होने से धनी एवं उन्नत वर्ग सभी पदों पर आसीन हो रहे है। एक व्यक्ति आरक्षण द्वारा पद प्राप्त कर लिया फिर उसी के बच्चों ने भी पद प्राप्त कर लिया फिर बच्चों के बच्चे इस तरह एक उन्नत वर्ग आनुवांशिक रूप से सरकारी पदों पर उत्तराधिकारी बनता जा रहा है, निर्धन अपने पुराने हालातों में हैं। आरक्षण जिस उद्येश्य के लिये दिया गया था वह उद्येश्य पूर्ति में सहायक नहीं बन पा रहा है। अन्य देशों की भांति भारत में भी आरक्षण समाप्त कर आरक्षित वर्गों के लाभ हेतु आरक्षण के बजाय सकारात्मक कार्यवाही कर लाभ प्रदान किया जाए। पदोन्नति में आरक्षण सर्वाधिक विवादित इसलिए है क्योंकि राज्यों ने राजनैतिक लाभ के लिये प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की है। विधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि समान पद पर समान वेतन पाने वालों में सभी का समान जीवन स्तर था किन्तु एक को आरक्षण देकर ऊँचा ओहदा एवं वेतन देकर जीवन स्तर ऊँचा किया जाए तथा उसी पद पर जो कम वेतन प्राप्त कर रहा है उसका जीवन स्तर ऊँचा किस तरह से हो जायेगा।

REFERENCES

CASES:-

1. रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस टेन्डोलकर AIR 1958, SC 538
2. देवदासन बनाम भारत संघ AIR 1964, SC 179
3. बालाजी बनाम मैसूर राज्य AIR 1951, SC 226
4. इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ AIR 1993, SC 477
5. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973, SC 1461

BOOKS:-

1. Upadhyay J.J.R. भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ कं पब्लिकेशन, इलाहाबाद
2. चतुर्वेदी, मुरलीधर – भारत का संविधान, इलाहाबाद पब्लिकेशन
3. अग्रवाल, एल.ओ. – अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार (2006) सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन, इलाहाबाद
4. पाण्डेय, जे.एन. – भारत का संविधान सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

पत्र–पत्रिकाएं :–

1. पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट
2. योजना पत्रिका
3. दैनिक जागरण / टाईम्स ऑफ इण्डिया

JOURNAL:-

1. सर्वोच्च न्यायालय के वाद निर्णय AIR
2. Website – www.legalservicesindia.com